an>

Title: Election of two Members from Lok Sabha to the Coconut Development Board.

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं: -

> "कि नारियल विकास बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि नारियल विकास बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>